पत्र सं०–09/बजट–11–15/2025– 147(ब)ब स्वा0,

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांकः 27/04/26

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना मद के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में जुनियर चिकित्सक/इन्टर्नस को छात्रवृत्ति/वजीफा मद में कुल 10,00,00,000/– (दस करोड़) रुपए मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना मद के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में जुनियर चिकित्सक/इन्टर्नस को छात्रवृत्ति/ वजीफा मद में कुल 10,00,00,000/– (दस करोड़) रुपए मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस सम्पूर्ण राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा ।
3. अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, झारखण्ड इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, तथा अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे ।
4. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी ।
5. व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगाः–

क्र०	बजट शीर्ष
1.	मुख्यशीर्ष– 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 05– चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण और अनुसंधान–105– एलोपैथी–41– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु छात्रवृति/वजिफा– 06– अनुदान– 50– छात्रवृत्ति और वजीफा (विपत्र कोड– 20एस 22100510541000650)
2.	मुख्यशीर्ष– 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 05– चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण और अनुसंधान– 796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना– 41– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु छात्रवृति/वजिफा– 06– अनुदान– 50– छात्रवृत्ति और वजीफा (विपत्र कोड– 20एस 22100579641000650)

6. राशि की निकासी वित्त विभाग परिपत्र संख्या– 2561 दिनांक– 17.04.98 एवं 1800 दिनांक 15.07.03 के आलोक में किया जाएगा ।
7. छात्रवृत्ति/वजीफा का भुगतान सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत कार्यरत बल पर किया जाएगा ।

(नरेन्द्र ठाकुर)
अवर सचिव।

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

8. यह चालू योजना है। जिसकी स्वीकृति मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1269 दिनांक–21.09.2023 के कंडिका संख्या–9.4 के आलोक में स्वीकृति प्रदान की जाती है।
9. आवंटित की जाने वाली राशि का व्यय सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रावधानों के आलोक में सभी प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाएगा ।
10. आवंटित राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा ।
11. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्याः 09/बजट–11–15/2025 – 147(7)ब राँची, दिनांकः 27/04/26

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/संबंधित सिविल सर्जन/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी/विभागीय पी०एम०यू० कोषांग/योजना बजट प्रशाखा के कम्प्यूटर सहायक, स्वा०चि०शि० एवं प०क० विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(नरेन्द्र ठाकुर)
अवर सचिव।

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।